महत्वपूर्ण एवं खास

पुसौर राइनो ने प्रसव पीड़िता को पहुंचाया अस्पताल

रायगढ़। दिनांक 02/08/2021 को डायल 112 पुसौर राइनो को ग्राम नेतनागर में प्रसव पीड़िता के लिये मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट मिला। इवेंट पर तत्काल पुसौर राइनो ईआरव्ही वाहन में आरक्षक हरिशंकर नायक तथा ईआरव्ही वाहन चालक सतीश चन्द्रा ग्राम नेतनागर पहुंचे। जहां श्रीमती शकुंतला सिदार पति राजेश सिदार को लेबर पेन होने पर तत्काल अस्पताल पहुंचाए जाने की आवश्यकता थी। डायल 112 स्टाफ द्वारा महिला एवं उसके परिजन को शीघ्र ईआरवी वाहन से केजीएच हॉस्पिटल रायगढ़ ले जाकर भर्ती कराया गया।

सेवानिवृत्त कर्मचारी मां मेडिकोज बोईरदादर में निःशुल्क प्राप्त कर सकते है दवाई

रायगढ़ । छ.ग.राज्य शासन ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु वर्ष 2021-22 के लिये जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय, रायगढ़ के अंतर्गत शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, रायगढ़ में पदस्थ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श उपरांत एवं चिकित्सालय भंडार में अनुपलब्ध औषधियां निविदा प्राप्तकर्ता मां मेडिकोज बोईरदादर चौक रायगढ़ से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है। उक्त जानकारी आयुर्वेद अधिकारी, रायगढ़ ने दी है।

जिले में 528.6 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़ । चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 2 अगस्त तक 528.6 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 1.3 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 510.3 मिली मीटर, पुसौर में 627.8, खरसिया में 500.5, सारंगढ़ में 583.5, बरमकेला में 482.0, घरघोड़ा में 520.7, तमनार में 442.4, लैलूंगा में 513.7 तथा धरमजयगढ़ तहसील में 576.1 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

महिला आईटीआई में विभिन्न ट्रेड के लिए 8 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़ । शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायगढ़ में प्रशिक्षण सत्र 2021-22 में व्यवसाय स्टेनोग्राफी (हिन्दी), कोपा, फैशन डिजाईन एण्ड टेक्नालॉजी, ड्रेस मेकिंग में आनलाईन आवेदन प्रारंभ की जा रही है। आवेदक वेबसाइट www.cgiti.cgstate.gov.in में 8 अगस्त 2021 तक आवेदन जमा कर सकते है। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

रायगढ़ लाईवलीहुड कॉलेज में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रारंभ

रायगढ़ । मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाअंतर्गत रायगढ़ लाईवलीहुड कॉलेज में संचालित डोमेस्टिक डाटा एंट्री आपरेटर एवं ऑफिस असिस्टेंट कोर्स में निःशुल्क गैर आवासीय प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम 10 वीं व 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क होगी। जिसके उपरांत प्रशिणार्थियों को रोजगार सुनिश्चित करवाया जायेगा। इच्छुक युवक-युवतियां लाईवलीहुड कॉलेज, केआईटी कॉलेज के पास उड़ीसा रोड, गढ़उमरिया रायगढ़ में समस्त दस्तावेजों के साथ पंजीयन करवा सकतें हैं।

मेहनत से कठिन लक्ष्य भी हो जाता है आसान-कलेक्टर

» अंग्रेजी मीडियम स्कूल में कलेक्टर सिंह ने बच्चों को सुनाया अपने बचपन का वाकया

» स्कूल संचालन के पहले दिन निरीक्षण में पहुंचे कलेक्टर भीम सिंह

रायगढ़ । शासन के निर्देशानुसार 2 अगस्त से स्कूलों का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। कलेक्टर भीम सिंह आज स्कूल संचालन के पहले दिन नटवर स्कूल परिसर में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल तथा सत्तीगुड़ी चौक स्थित शा.इंदिरा गांधी बालक पूर्व माध्यमिक शाला के निरीक्षण में पहुंचे। यहां स्कूल के पहले दिन उन्होंने बच्चों से बात कर उनका उत्साहवर्धन किया।

कलेक्टर भीम सिंह ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल में संचालित कक्षा चौथी का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने बच्चों से बात कर उनकी लॉकडाउन अवधि में की गई ऑनलाईन पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। साथ ही बच्चों से उनकी पिछली कक्षाओं तथा स्कूल के बारे में भी बाते पूछी, जिसका बच्चों ने जवाब दिया। स्कूल में प्रवेशित कुछ बच्चे हिन्दी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम स्कूल आए है। इस पर कलेक्टर भीम सिंह ने उन्हें अपने बचपन का वाक्या याद करते हुए बताया कि वे कक्षा 5 वीं तक हिन्दी माध्यम स्कूल में पढ़े है। कक्षा 6 वीं में अंग्रेजी मीडियम स्कूल में उनका दाखिला कराया गया। शुरू में उन्हें मीडियम चेंज करने में थोड़ी तकलीफ हुई तथा टेस्ट में भी कम नंबर आए। परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करते रहे और वार्षिक परीक्षा में उन्होंने कक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया। कलेक्टर सिंह ने बच्चों से कहा कि मेहनत करके आप किसी भी कठिन लक्ष्य को आसान बना सकते है। साथ ही बच्चों को मन लगाकर पढ़ने तथा कोई विषय या टॉपिक समझ में न आए तो तत्काल अपने शिक्षकों से पूछने के लिए कहा। इसी के साथ ही कोविड से बचाव के संबंध में किए जाने वाले उपायों के बारे में भी बच्चों से पूछा। साथ ही इन सभी उपायों का पालन करने के लिए भी कहा। उन्होंने बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं दी।

कलेक्टर सिंह ने स्कूल में कक्षाओं के संचालन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने शासन के निर्देशानुसार बच्चों की उपस्थिति व कोविड के मद्देनजर अन्य सभी गाईड लाईन्स का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। इस बीच उन्होंने स्कूल परिसर में हुए निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। बच्चों की सुविधा के अनुसार हैण्डवाश तथा सेनेटाईजेशन की समुचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। इस बीच उन्होंने शिक्षकों से भी बात की तथा अंग्रेजी माध्यम के अनुसार सभी विषयों की पढ़ाई करवाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह इसके पश्चात सत्तीगुड़ी चौक स्थित शा.इंदिरा गांधी बालक पूर्व माध्यमिक शाला कक्षा तीसरी व चौथी की कक्षा में जाकर बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। साथ ही कोविड प्रोटोकाल के बारे में भी बच्चों की जानकारी को परखा। उन्होंने स्कूल स्टॉफ को गाईड लाईन्स के अनुसार कक्षा संचालन के निर्देश दिए। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी.आदित्य, डीएमसी आर.के.देवांगन, सहायक संचालक शिक्षा श्रीमती दीप्ति अग्रवाल सहित संबंधित स्कूलों के प्राचार्य व अन्य स्टाफ मौजूद रहे।

मोटर सायकल पर शराब परिवहन कर रहे आरोपी से 40 लीटर महुआ शराब जब्त

रायगढ़। पुलिस चौकी कनकबीरा स्टाफ द्वारा दिनांक 01.08.2021 को बाजीनाला पुल के पास आरोपी शिव सिदार को मोटर सायकल पर प्लास्टिक बोरी के अंदर बिक्री के लिये शराब लेकर जाते हुये पकड़े। आरोपी के कब्जे से 40 लीटर महुआ शराब बरामद हुआ है ।

जानकारी के अनुसार दिनांक 01.08.2021 के शाम मुखबिर सूचना पर पुलिस चौकी कनकबीरा से प्रधान आरक्षक सहदेव सिह चौहान, आरक्षक मुकेश साहू एवं किशोर सिदार द्वारा बाजीनाला पुल के पास मेनरोड़ में शिव सिदार पिता मनबोध सिदार उम्र 45 वर्ष साकिन वार्ड नं0 12 कमलानगर सारंगढ़ को मोटरसायकल हिरो एचएफ डिलक्स क्रमांक सीजी 13 एडी- 0394 में एक प्लास्टिक बोरी में शराब लेकर आने की सूचना पर करीब 19:35 बजे रोके। बोरी अंदर पन्नी में करीब 40 लीटर महुआ शराब मिला जिसे आरोपी शिव सिदार बिक्री करने लेकर जाना बताया। आरोपी से अवैध शराब 40 लीटर कीमती 4,000 रूपया एवं मोटर सायकल जुमला किमती 29,000 रूपये का जप्त कर आरोपी पर धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई है।

लिपिक की नौकरी लगाने के नाम पर 5.50 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 02/08/2021 को रामभांठा में रहने वाले अशोक श्रीवास्तव पिता स्वर्गीय बीपी श्रीवास्तव उम्र 52 वर्ष पुलिस कार्यालय आकर एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा से मिले और उन्हें ग्राम पुटकापुरी के जय पटेल द्वारा उसके बेटे की स्वास्थ्य विभाग में ग्रेड-3 लिपिक के पद पर नौकरी लगा देने के एवज में 5,50,000 रूपये लेकर धोखाधड़ी करना बताये। एडिशनल एसपी द्वारा शिकायतकर्ता को कोतवाली थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराना कहते हुए थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर को वैधानिक कार्यवाही करने का निर्देश दिए, जिस पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर हमराह स्टाफ के साथ ग्राम पुटकापुरी जाकर आरोपी को शिकायत/रिपोर्ट की भनक लगने से पहले हिरासत में लेकर थाने लाये जिसे धोखाधड़ी के अपराध में आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता अशोक श्रीवास्तव बताये कि जान पहचान के लोगों से बेटे के रोजगार के संबंध में चर्चा करता था। इसी दरम्यान जय कुमार पटेल निवासी पुटकापुरी पुसौर से जान पहचान हो गया। वर्ष 2019 में जय कुमार पटेल अपनी ऊंची पहुंच बताकर लड़के की नौकरी स्वास्थ्य विभाग में लगाकर धर्मजयगढ़, पत्थलगांव या रायगढ़ कहीं भी पोस्टिंग करा दूंगा जिसके लिये 5.50 लाख रूपये लगेगा बोला था। उसके झांसे में आकर उसे 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए कई बार उसके बैंक खाता में 5,50,000 जमा कराया, परंतु इन दो साल में जय पटेल बेटे की नौकरी नहीं लगा पाया। जब रुपए की मांग किये तो आज दूंगा, कल दूंगा ब्याज सहित लौटा दूंगा कहकर टालता गया। पीड़ित की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 1086/2021 धारा 420 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुये आरोपी जय पटेल पिता उमाचरण पटेल उम्र 29 साल निवासी पुटकापुरी थाना पुसौर को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष नागर के नेतृत्व में लगातार कोतवाली पुलिस धोखाधड़ी मामलों के आरोपियों को उनकी सही जगह सलाखो के पीछे भेजने का काम कर रही है।

मां की हत्या कर शव को छिपाने खाद के गड्ढे में फेंका, गिरफ्तार

रायगढ़। लैलूंगा थानाक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम कोडामाई में कल दिनांक 01/08/2021 को गांव का कृष्ण कुमार सिदार (25 वर्ष) अपनी मां पार्वती (50 वर्ष) को ईट एवं लकड़ी के टुकड़ा से मारपीट कर हत्या कर दिया, घटना की सूचना पर तत्काल घटनास्थल पहुंची लैलूंगा पुलिस शव को बरामद कर पंचानामा कार्यवाही बाद आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिसे आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार ग्राम कोडामाई निवासी कृष्ण कुमार सिदार पिता स्व0 बीरेश सिदार उम्र 25 साल शराबी तथा झगडेलू किस्म का युवक है। लैलूंगा थाने में कृष्ण कुमार सिदार पर मारपीट का एक अपराध पूर्व में कायम किया गया है। दिनांक 01/08/2021 को प्रतिदिन की तरह गांव के लोग कृषि व अन्य कार्य व्यस्त थे। दोपहर करीब 03/30 बजे कृष्ण कुमार सिदार शराब पीकर घर आया और उसकी मां पार्वती सिदार को धान साफ क्यों नहीं की है कहकर लडाई झगडा कर रहा था। झगड़ा विवाद इतना बढ़ गया कि कृष्ण कुमार सिदार ईंटा और लकडी का टुकडा से मारपीट कर उसकी मां की हत्या कर दिया फिर शव को छिपाने के लिये घर के पीछे खाद के गड्ढे में लेकर जाकर छिपा दिया। कृष्ण कुमार सिदार के घर के पास रहने वाली उसकी चचेरी बहन गुलापी सिदार दोनों मां-बेटे के लड़ाई झगड़ा को देखी थी, जो गांव के लोगों को बताई। घटना की सूचना डॉयल 112 और लैलूंगा थाना प्रभारी निरीक्षक रूपेन्द्र कुमार साय को मिलने पर तत्काल स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी आरोपी को हिरासत में लेकर शव पंचनामा कार्रवाई कर रिपोर्टकर्ता कु. गुलापी सिदार पिता स्व. श्रवण कुमार सिदार उम्र 18 वर्ष साकिन कोडामाई सिदारपारा थाना लैलूंगा के रिपोर्ट पर आरोपी कृष्ण कुमार सिदार पिता स्व0 बीरेश सिदार उम्र 25 साल निवासी कोडामाई सिदारपारा थाना लैलूंगा के विरूद्ध अप.क्र. 221/2021 धारा 302,201 भादवि का अपराध दर्ज कर आरोपी को आज दिनांक को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

6 लोगों की असामायिक मृत्यु पर वारिशानों को सहायता राशि स्वीकृत

रायगढ़ । अनुविभाग धरमजयगढ़ अंतर्गत 6 लोगों की प्राकृतिक आपदा के तहत असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात एसडीएम धरमजयगढ़ द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतक के नजदीकी वारिशानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील धरमजयगढ़ ग्राम (तुमकुड़ा)कुडेकेला की बिंदेश्वरी सिदार एवं समयलाल सिदार की 17 अक्टूबर 2020 को आग में जलने से मृत्यु होने पर उनकी पुत्री सिमरन एवं शौर्य को 8 लाख रुपये, ग्राम-जगालमौहा (कुरनूपाली)के चिरूराम मांझी की 23 मई 2016 को गड्डा में गिरने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी धनमेत बाई को 4 लाख रुपये, ग्राम-रतनपुर के सोनसाय बंजारा की 19 सितम्बर 2020 को सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनके पुत्र सुमेर सिंह को 4 लाख रुपये, ग्राम-भालूपखना के संतराबाई की 10 अक्टूबर 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पति संतराम को 4 लाख रुपये तथा ग्राम-ठाकुरपोड़ी के नेहरूराम की 22 जून 2020 को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी मनीषा को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से मिली लक्ष्मी को सफल व्यवसायी की पहचान

» दो लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं लक्ष्मी नारायण

रायगढ़ । मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से लक्ष्मी नारायण साहू के लिए तरक्की की नयी राह खुली है। नौकरी की तलाश में लगे लक्ष्मी नारायण साहू ने योजना का लाभ लेकर खुद का व्यवसाय प्रारंभ कर न केवल आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि दो लोगों को खुद रोजगार भी दे रहे हैं।

जिला-रायगढ़ तहसील बरमकेला के ग्राम तौसीर निवासी लक्ष्मीनारायण साहू पढ़-लिखकर शासकीय नौकरी की चाह में लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, परंतु काम्पीटिशन के इस दौर में नौकरी पाने में सफलता नहीं मिल पा रही थी। ऐसे समय में उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और समय न गवाते हुये कुछ व्यवसाय करने की ठानी। तब उन्हें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की जानकारी मिली। लक्ष्मीनारायण साहू ने जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ में जाकर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वहां मिली जानकारी से उन्होंने स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण लिये जाने से पूर्व उनका कृषि कार्य ही आय का स्त्रोत था। उक्त योजनांतर्गत साहू को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक तौसीर से डेढ़ लाख रुपये ऋण की स्वीकृति मिली।

वितरण उपरांत साहू व्दारा स्वयं का कृषि सेवा केन्द्र व्यवसाय प्रारंभ किया गया। स्वीकृत राशि से उसे 22 हजार 500 रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई। साहू व्दारा संचालित कृषि सेवा केन्द्र में अन्य 02 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। उनकी दुकान की बिक्री भी काफी बढ़ गई है। समस्त मासिक खर्चो के बाद भी अपने परिवार के लिए लगभग 16 हजार रुपये की बचत भी कर रहे है। साहू अपने जीवन में आए इस बदलाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

अवैध शराब के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार,28 बॉटल अंग्रजी शराब जब्त

रायपुर । राजधानी में पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान आमानाका टाटीबंध में दो अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास 28 बॉटल अंग्रेजी शराब जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार 1 अगस्त को आमानाका थाना पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान मुखबीर की सूचना पर टाटीबंध ओव्हरब्रिज के पास रात 8.30 बजे अवैध शराब के साथ दो लोगों को घेराबंदी कर पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों के पास 2 ट्राली बैग लेकर अलग-अलग खड़े मिले जिसे चेक करने पर 28 बॉटल अंग्रेजी शराब अनुमानित कीमत 1 लाख 5 हजार 500 रुपये को जब्त की गई। आरोपियों के नाम पुछने पर दिनेश जयसवाल 55 वर्ष स्व.प्यारेलाल एवं दानिश अरीबखान 25 वर्ष पिता मोहम्मद आजाद खान बताया है।

अनाचार का आरोपी प्रकाश एक्का व उसका साथी मदन चौहान गिरफ्तार

» घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन की जब्त

रायगढ़। घरघोड़ा थानाक्षेत्र अन्तर्गत दिनांक 27/07/2021 को कामकाजी युवती से दुष्कर्म कर फरार हुआ आरोपी प्रकाश एक्का तथा उसके सहयोगी मदन चौहान को घरघोड़ा पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 27.07.2021 की शाम अपनी ड्यूटी से घर जा रही युवती को रास्ते पर प्रकाश उर्फ फूलप्रकाश एक्का उसके साथी मदन चौहान बोलेरो वाहन से घर छोड़ देना कहकर वाहन में बिठाये और घर न छोड़कर उसे जंगल की ओर ले गये। जहां आरोपी प्रकाश उर्फ फूलप्रकाश एक्का युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसे घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया , जिसके बाद युवती को उसके घर के बाहर छोड़कर दोनों आरोपी फरार हो गये। घटना की रिपोर्ट पीड़िता द्वारा दिनांक 29/07/2021 को थाना घरघोड़ा में दर्ज कराने पर आरोपी प्रकाश एक्का एवं उसके साथी पर अप.क्र. 233/2021 धारा 376,506,34 भा.द.वि. दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना द्वारा थाना प्रभारी घरघोड़ा को शीघ्र आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया, जिस पर घरघोड़ा पुलिस लगातार आरोपियों के मिलने के सम्भावित स्थानों पर दबिश दिया जा रहा था जिससे आरोपीगण अन्यत्र फरार होने में नाकामयाब रहे और उन्हे आज धर दबोचा गया। आरोपी प्रकाश उर्फ फूलप्रकाश एक्का पिता साधराम उम्र 26 वर्ष एवं उसके साथी मदन चैहान पिता ईश्वर उम्र 21 वर्ष दोनो निवासी रायकेरा थाना घरघोड़ा अपना जुर्म कबूल किये हैं। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त वाहन बोलेरो क्र. सीजी-13-ए.एफ.-0975 को जप्त कर आज दिनांक 02.08.2021 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी पतासाजी/गिरफ्तारी में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित सिंह, सहायक उप निरीक्षक चंदनसिंह नेताम, आरक्षक नंदु पैंकरा, नरेन्द्र पैंकरा, विरेन्द्र भगत की विशेष भूमिका रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480